

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :- 91/2024

निर्णय दिनांक :- 16.05.2025

पीठासीन अधिकारी:-राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)



—:उनवान:—

1. दीपक पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 25 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. मोतीलाल पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 21 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. रामराज पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 19 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. विजय पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 30 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. सीता देवी पत्नि जगदीश जाति बैरवा आयु 45 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. रामलाल पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 63 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. हनुमान पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 51 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
8. हरिराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 47 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हंसराज कटूम्वरिया पुत्र कालू राम कटूम्वरिया जाति रैगर आयु 33 वर्ष निवासी दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. विष्णु कुमार पुत्र कालूराम रैगर जाति रैगर आयु 29 वर्ष निवासी दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. तहसीलदार फागी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:- श्री मनीष मालपानी अधिवक्ता वादीगण

श्री सुनील कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादीगण


वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर. टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक:-16.05.2025

लगातार.....2


उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(2)

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फागी पश्चिम के सम्बन्ध में दिनांक 06.12.2024 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/25/1074 दिनांक 01.04.2025 के द्वारा नक्शे - कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा - कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत मानने का कोई आधार नहीं है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा - कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	हंसराज कटूम्रिया पुत्र कालूराम कटूम्रिया हि० 1/2 विष्णु कुमार रैगर पुत्र कालूराम रैगर हि० 1/2 जाति रैगर निवासी दहभीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर	6652	0.9863	बारानी 1	
		6653	0.8978	बारानी 1	
		6692	0.8093	बारानी 1	
		6693	0.9990	बारानी 1	
	योग	किता 04	3.6924		
2	दीपक पुत्र जगदीश हि०1/20 मोतीलाल पुत्र जगदीश हि०1/20 रामराज पुत्र जगदीशहि०1/20 विजय पुत्र जगदीश हि०1/20 सीतादेवी पत्निजगदीश हि० 1/20हनुमान पुत्र धन्ना हि० 1/4 रामलाल पुत्र धन्ना हि० 1/4 हरिराम पुत्र धन्ना हि०1/4 जाति बैरवा सा० देह	6717	0.8852	बारानी 1	
		6718	0.8852	बारानी 1	
		2	1.7704		

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

**नोट:- आदेश दिनांक 2.6.25 के अनुसार
क्र.नं. 6718 के स्थान पर 6718/2
पढ़ा जावे।**

16/5/25
(राकेश कुमार II)

उपस्थित अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपस्थित अधिकारी
फागी, जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास- राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. दीपक पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 25 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. मोतीलाल पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 21 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. रामराज पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 19 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
4. विजय पुत्र जगदीश जाति बैरवा आयु 30 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
5. सीता देवी पत्नि जगदीश जाति बैरवा आयु 45 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
6. रामलाल पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 63 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
7. हनुमान पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 51 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
8. हरिराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा आयु 47 वर्ष निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. हंसराज कटूमबरिया पुत्र कालू राम कटूमबरिया जाति रैगर आयु 33 वर्ष निवासी दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. विष्णु कुमार पुत्र कालूराम रैगर जाति रैगर आयु 29 वर्ष निवासी दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. तहसीलदार फागी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादीगण

::- वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::-

मुननः- 91 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु वकील वादी श्री मनीष मालपानी व वकील प्रतिवादीगण सुनील कुमार जोशी हाजिर रुबरु मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः वादीगण का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नकशा - कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होंगे।

निज.....मुवलिंग.....बाबत.....फीसदी.....सालाना आज

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज

की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.05.2025 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
अहदी, जयपुर

मुहर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा रटाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		


कृ०प०उ०

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

दीपक वगै० बनाम हंसराज वगै०
मु०न०:- 91/2024
निर्णय दिनांक:- 16.05.2025

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्लिदयत	खसरा नम्बर	रकबा	किरम	लगान
1	हंसराज कट्टम्बरिया पुत्र कालूराम कट्टम्बरिया हि० 1/2 विष्णु कुमार रैगर पुत्र कालूराम रैगर हि० 1/2 जाति रैगर निवासी दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर	6652	0.9863	बारानी 1	
		6653	0.8978	बारानी 1	
		6692	0.8093	बारानी 1	
		6693	0.9990	बारानी 1	
	योग	किता 04	3.6924 हैक्टेयर		
2	दीपक पुत्र जगदीश हि०1/20 मोतीलाल पुत्र जगदीश हि०1/20 रामराज पुत्र जगदीश हि०1/20 विजय पुत्र जगदीश हि० 1/20 सीता देवी पत्नि जगदीश हि० 1/20 हनुमान पुत्र धन्ना हि० 1/4 रामलाल पुत्र धन्ना हि० 1/4 हरिराम पुत्र धन्ना हि०1/4 जाति बैरवा सा० देह	6717	0.8852	बारानी 1	
		6718/2	0.8852	बारानी 1	
		किता 02	1.7704 हैक्टेयर		

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर